भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2549

16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय- वाणिज्यिक फसलें उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन

2549. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः
सुश्री कंगना रनौतः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री बलभद्र माझीः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री रोडमल नागरः
श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः
श्री राजकुमार चाहरः
डॉ. राजेश मिश्राः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कपास, गन्ना, जूट, रबड़ और बागवानी फसलों जैसी वाणिज्यिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और यदि हां, तो मध्य प्रदेश, विशेषकर देवास-शाजापुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक (एनएफएसएनएम), न्यूनतम समर्थन मूल्य सहायता, क्लस्टर आधारित विकास और मूल्य श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण योजनाओं के माध्यम से प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का राज्य-वार, विशेष रूप से राजस्थान में पाली, मध्य प्रदेश में देवास-शाजापुर और हिमाचल प्रदेश में कितना उत्पादन और उत्पादकता रही है;

(ग) विशेषकर कपास और गन्ने के लिए जीनोम एडिटिंग, सटीक कृषि, स्मार्ट सिंचाई और उच्च घनत्व वाली रोपण जैसी नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जीनोम परियोजना के अंतर्गत वर्तमान में राज्य-वार विशेषकर मध्य प्रदेश में देवास-शाजापुर में कितनी फसलों को शामिल किया गया है;

(घ) एग्रीस्टैक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत कितने किसानों को विशिष्ट डिजिटल पहचान पत्र प्रदान किए गए हैं और यह डिजिटल सक्षमता पारदर्शिता, वास्तविक समय परामर्श और किसानों की आय में वृद्धि में किस प्रकार सहायता प्रदान करती है; और

(ङ) सीधी संसदीय क्षेत्र में कितने किसान व्यावसायिक खेती में लगे हुए हैं और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) [पूर्ववर्ती राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)] के अंतर्गत मध्य प्रदेश सहित 19 राज्यों में कपास, जूट एवं संबद्ध रेशे और गन्ना जैसी वाणिज्यिक फसलों पर वर्ष 2014-15 से एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए डेमॉन्सट्रेशन और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रौद्योगिकी हंस्तातरण पर बल दिया गया है।

रबड़ बोर्ड देश में प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना "प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र का सतत एवं समावेशी विकास" कार्यान्वित कर रहा है।

बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसमें फल, सब्जियां, जड़ एवं कंद फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित और औषधीय पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस शामिल हैं। सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र एमआईडीएच योजना के अंतर्गत शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाली चुनिंदा बागवानी फसलों के लिए एक नई योजना, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एचसीडीपी) का

शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम बागवानी क्लस्टरों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और पूर्व-उत्पादन, उत्पादन, फसलोपरांत, लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों के एकीकृत और बाजार-आधारित विकास को प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया है।

सरकार कपास और जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करती है।

(ख): विगत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख वाणिज्यिक फसलों जैसे कपास, जूट एवं मेस्टा और गन्ने के उत्पादन और उत्पादकता का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग): जीनोम एडिटिंग जैसी नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने वर्ष 2023 में जीनोम एडिटिंग परियोजना प्रारंभ की है। 'जीनोम एडिटिंग टूल्स के साथ जलवायु अनुकूलन में वृद्धि एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना' नामक यह परियोजना आईसीएआर के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में कपास और गन्ना सहित 24 फसलों पर केंद्रित है।

कपास पर 'कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों के लिए लक्षित प्रौद्योगिकियां - कपास उत्पादकता में वृद्धि हेतु सर्वोत्तम पद्धतियों का बड़े पैमाने पर डेमॉन्सट्रेशन' नामक विशेष परियोजना आईसीएआर-केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), नागपुर द्वारा एनएफएसएनएम के तहत वर्ष 2023-24 से कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें उच्च घनत्व रोपण प्रणाली (एचडीपीएस) को बढ़ावा दिया जा रहा है।

आईसीएआर-भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (आईएसआरआई), लखनऊ और आईसीएआर-गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर गन्ने में जीनोम एडिटिंग, प्रिशिसन फार्मिंग और स्मार्ट सिंचाई जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान कर रहे हैं। आईसीएआर-आईएसआरआई ने गन्ने के विकास एवं उपज के पूर्वानुमान, मिट्टी और जलवायु कारकों का आकलन करने और उष्णकटिबंधीय/उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभिन्न किस्मों के लिए शर्करा उत्पादन को बढ़ाने के लिए आईकेएसएचयू- केन (इंटीग्रेटेड नॉलेज सिस्टम फॉर शुगरकेन हार्वेस्ट आउटपुट) नामक एक मॉडल का अनावरण किया है।

आईसीएआर ने बागवानी फसलों में 'जीनोम एडिटिंग के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन बढ़ाने और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने' के लिए एक नई उप-योजना का शुभारंभ किया है। इस जीनोम एडिटिंग परियोजना के अंतर्गत वर्तमान में सेब, केला, अंगूर, पपीता, अनार, टमाटर, मिर्च, खीरा, खरबूजा, प्याज, आलू, कसावा, अदरक, काली मिर्च, जीरा, धनिया और गेंदा जैसी बागवानी फसलें शामिल हैं।

(घ): सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग में डिजिटल कृषि मिशन को अनुमोदन दिया है। इस मिशन के अंतर्गत कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) जैसे कि एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, व्यापक मृदा एवं उर्वरता प्रोफाइल मैप और केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य आईटी पहलों, के सृजन की परिकल्पना की गई है, ताकि देश में एक सुदृढ़ डिजिटल कृषि ईकोसिस्टम विकसित हो सके। इसके परिणामस्वरूप किसानों के लिए नवीन डिजिटल समाधानों को बढ़ावा मिलेगा और वे विश्वसनीय बनेंगे। एग्रीस्टैक डीपीआई में कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन मूलभूत रेजिस्ट्रियाँ या डेटाबेस शामिल हैं, अर्थात् जियो-रेफरेंस् विलेज मैप्स, क्रॉप्स सोन रजिस्ट्री और किसान रजिस्ट्री, जिनका निर्माण और रखरखाव राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत राज्य किसान रजिस्ट्री में सभी भू-धारक किसानों को शामिल किया गया है। किसान रजिस्ट्री एप्लिकेशन में किरायेदार और पट्टेदार किसानों को भी शामिल करने का प्रावधान है। कोई भी राज्य किरायेदार और पट्टेदार किसानों संबंधी अपनी नीति के अनुसार ऐसे किसानों को किसान रजिस्ट्री में शामिल करने का निर्णय ले सकता है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 10.12.2025 तक कुल 7,70,65,153 किसान आईडी जारी की जा चुकी हैं।

(ङ): किसान कल्याण तथा कृषि विकास निदेशालय, मध्य प्रदेश द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, सीधी संसदीय क्षेत्र में 6418 किसान व्यावसायिक खेती में सक्रिय रूप से शामिल हैं। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट उपलब्ध कराकर और प्रशिक्षण सत्रों, डेमॉन्स्ट्रेशन और फील्ड विजिट सहित नियमित क्षमता निर्माण गतिविधियों का आयोजन करके सहायता प्रदान की जा रही है।

अनुबंध

प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का राज्यवार उत्पादन एवं उत्पादकता

गन्ना (उत्पादन लाख टन में और टन/हेक्टेयर में उत्पादकता)

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन			उत्पादकता		
		2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	29.56	22.14	19.85	73.89	80.53	90.24
2	असम	12.64	13.80	12.38	43.59	47.23	42.34
3	बिहार	127.43	120.84	121.49	60.63	59.78	63.09
4	छत्तीसगढ़	23.88	20.41	18.66	56.89	57.16	55.93
5	गुजरात	134.61	144.80	137.14	74.34	71.62	72.65
6	हरियाणा	88.60	73.74	58.30	82.23	83.58	81.38
7	**हिमाचल प्रदेश**	**0.22**	**0.22**	**0.21**	**15.44**	**15.44**	**15.44**
8	कर्नाटक	593.46	418.11	480.60	90.00	77.00	89.00
9	**मध्य प्रदेश**	**64.44**	**75.90**	**61.09**	**70.04**	**66.00**	**57.09**
10	महाराष्ट्र	1239.68	1120.88	1099.70	91.20	78.00	94.23
11	ओडिशा	3.94	4.12	6.81	53.78	57.40	51.34
12	पंजाब	75.06	75.10	72.79	83.12	83.25	82.05
13	**राजस्थान**	**3.10**	**3.45**	**4.65**	**87.96**	**82.98**	**79.98**
14	तमिलनाडु	176.58	159.27	133.51	111.08	105.00	102.00
15	तेलंगाना	29.43	24.33	19.16	105.10	90.12	93.06
16	उत्तर प्रदेश	2242.46	2158.11	2208.01	80.24	81.35	81.17
17	उत्तराखंड	37.60	77.76	76.50	80.00	82.65	84.66
18	पश्चिम बंगाल	14.43	11.04	8.79	78.20	66.58	66.58
	अखिल भारत	**4905.33**	**4531.58**	**4546.11**	**83.35**	**78.95**	**83.42**

कपास (उत्पादन लाख गांठों में और किलोग्राम/हेक्टेयर में उत्पादकता)

क्र.सं..	राज्य	उत्पादन			उत्पादकता		
		2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	15.41	7.37	11.31	372	297	476
2	गुजरात	87.95	90.57	71.57	602	574	513
3	हरियाणा	10.00	15.09	11.77	296	444	502
4	कर्नाटक	25.68	20.59	22.73	460	471	570
5	**मध्य प्रदेश**	**14.33**	**18.01**	**15.35**	**410**	**486**	**486**
6	महाराष्ट्र	83.16	80.45	73.73	338	323	304
7	ओडिशा	7.05	7.05	8.23	554	554	586
8	पंजाब	4.44	6.29	4.14	303	500	439
9	**राजस्थान**	**27.74**	**26.22**	**17.86**	**579**	**444**	**484**
10	तमिलनाडु	3.19	2.52	2.11	313	330	350
11	तेलंगाना	57.45	50.80	57.89	495	475	543
	अखिल भारत	**336.60**	**325.22**	**297.24**	**443**	**436**	**440**

जूट और मेस्टा (उत्पादन हजार गांठों में और उत्पादकता किलोग्राम/हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन			उत्पादकता		
		2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25
1	असम	709.47	673.43	729.26	2094	2037	2107
2	बिहार	772.82	985.72	846.35	2309	2661	2581
3	ओडिशा	51.17	58.55	44.26	1488	1642	1529
4	पश्चिम बंगाल	7747.04	7865.69	7027.64	2701	2883	2932
	अखिल भारत	**9391.60**	**9692.31**	**8801.57**	**2570**	**2737**	**2758**

*****